राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, सर्किट न्यायालय नैनीताल।

निगरानी संख्या – 24 वर्ष 2016–17 (अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0)

निगरानीकर्ता– उत्तराखण्ड राज्य द्वारा कलेक्टर, उधमसिंह नगर।

बनाम

उत्तरदातागण– 1–विनोद पांडे पुत्र निवारण पांडे।
निवासी कमलुवागांजा कबड्वाल तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
2–नगेनसाना।
3–विनोद साना पुत्रगण द्वारिका साना।
4–कृपाल सिंह पुत्र उजागर सिंह।
निवासी ग्राम आनन्दखेड़ा तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर।
5–किशनचन्द्र जोशी पुत्र हरीशचन्द्र जोशी।
निवासी ग्राम चीनपुर हरिपुरनायक तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण–

निगरानीकर्ता : श्री महेशचन्द्र सुयाल
जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) नैनीताल ।

उत्तरदातागण सं0–1 : श्री राजेश पाण्डे ।

निर्णय

यह निगरानी उत्तराखण्ड राज्य की ओर से कलेक्टर उधमसिंह नगर द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल के निगरानी संख्या 73/2013–14, 32/2015–16 विनोद पाण्डे बनाम नगेनसाना व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनॉक 27/10/2016 के विरूद्ध मुख्यरूप से इन आधारों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है कि अभिलेख अधिकारी उधमसिंह नगर के समक्ष राज्य सरकार की ओर से प्रश्नगत अपील/निगरानी में पारित विधि एंव तथ्यसम्मत निर्णयादेश के विरूद्ध मूल पक्षकारों द्वारा कोई अपील/निगरानी नहीं की गयी एंव अधीनस्थ निगरानी न्यायालय द्वारा उत्तरदाता संख्या–1 की निगरानी स्वीकार कर तथा एक विधि विरूद्ध आदेश पारित कर घोर अनियमितता की गई है, क्योंकि उत्तरदाता मूल कार्यवाहियों अपील एंव निगरानी में पक्षकार नहीं था एंव उसे आयुक्त के समक्ष निगरानी संस्थित करने का विधिक अधिकार नहीं था, कि सर्वे नायब तहसीलदार को स्वत्व सम्बन्धी प्रकरण में राज्य सरकार को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाकर ही आदेश पारित करना चाहिये था एंव सर्वे नायब तहसीलदार के विधि विरूद्ध एंव त्रुटिपूर्ण आदेश को अभिलेख अधिकारी उधमसिंह नगर ने अपने आदेश दिनॉक 23/3/2013 से विधिक रूप से अपास्त किया इसलिये निगरानीकर्ता के विरूद्ध पारित प्रश्नगत आदेश दिनॉक 27/10/2016 विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

इस न्यायालय की कार्यवाही में मात्र उत्तरदाता संख्या–1 की ओर से ही प्रतिभाग किया है। उसके विद्वान अधिवक्ता ने प्रारम्भिक स्तर पर ही निगरानी की पोषणीयता पर बहस सुनकर उस पर निर्णयादेश की अपेक्षा की है। तदनुसार बिना

अभिलेख अधिकारी व सर्वे नायब तहसीलदार से अभिलेख प्राप्त किये ही इस निगरानी की पोषणीयता पर उपस्थित पक्षकारों की बहस सुनकर उक्त बिन्दु को निस्तारित किया जा रहा है।

उत्तरदाता संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क ये हैं कि वर्तमान निगरानी राज्य सरकार की ओर से द्वितीय निगरानी होने के दृष्टिगत धारा 219 भूराजस्व अधिनियम् के अन्तर्गत सान्धार्य एंव पोषणीय नहीं है, कि वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार की अथवा सार्वजनिक भूमि नहीं है तदनुसार राज्य सरकार क्षुब्ध व्यक्ति नहीं है, कि सर्वे नायब तहसीलदार को सुलहनामे के आधार पर धारा 54 भू राजस्व अधिनियम् सपठित नियम 26 (1) उ0प्र0 भूलेख (सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें) नियमावली 1978 के अधीन सुलहनामा/सहमति के आधार पर आलोच्य प्रकरण में संज्ञान लेकर आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है एवं कि राज्य सरकार का सुलहनामा/सहमति पत्र स्टाम्पित न होने सम्बन्धी तर्क/बिन्दु स्टाम्प एंव पंजीयन अधिनियमों से समर्थित नहीं है।

दूसरी ओर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) का तर्क है कि अभिलेख अधिकारी उधमसिंह नगर के समक्ष राज्य सरकार की ओर से अपील प्रस्तुत हुई है न कि निगरानी जैसा कि अभिलेख अधिकारी के निर्णयादेश में शब्द अपील के उल्लेख से स्पष्ट होता है। अतः वर्तमान निगरानी प्रथम निगरानी है न कि द्वितीय निगरानी।

पहला बिन्दु वर्तमान निगरानी के द्वितीय निगरानी होने के आधार पर सान्धार्य/पोषणीय न होने विषयक है। इस सम्बन्ध में अभिलेख अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा प्रपत्र–6 में पारित आदेश दिनॉक 21/8/1998 के विरूद्ध प्रकरण के निगरानी अथवा अपील होने के सम्बन्ध में अभिलेख अधिकारी का आदेश दिनॉक 23/3/2013 अवलोकनीय है जिसमें यद्यपि निर्णय के शीर्ष में अपील संख्या का उल्लेख किया गया है परन्तु प्रकरण को निगरानी के रूप में विचारित एंव निस्तारित किया गया है। यहॉ तक कि निगरानी की धारा अर्थात् धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम एवं आदेश के क्रियान्वयक अंश (operative portion) की प्रथम पंक्ति में निगरानी स्वीकार किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है, तदनुसार वर्तमान निगरानी राज्य सरकार की द्वितीय निगरानी है जो कि धारा 219 (2) भू–राजस्व अधिनियम् के अन्तर्गत वर्जित है। विद्वान अभिलेख अधिकारी उधमसिंह नगर अपने समक्ष प्रस्तुत निगरानी को अपील के रूप में ग्रहण एंव निस्तारित कर सकते थे, परन्तु उनके विस्तृत निर्णयादेश में यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने निगरानी को अपील में परिवर्तित कर उसे निस्तारित किया है। उ0प्र0भूलेख (सर्वेक्षण एंव अभिलेखन संक्रिया) नियमावली 1978 के नियम् 27(4) के अन्तर्गत द्वितीय अपील का प्राविधान है, परन्तु अभिलेख अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण को निगरानी के रूप में ग्रहण एंव निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत वर्तमान निगरानी सान्धार्य एंव पोषणीय नहीं है।

दूसरा तर्क/बिन्दु राज्य सरकार के द्वारा आक्षेपित निर्णयादेश से क्षुब्ध व्यक्ति न होने के आधार पर उसे निगरानी करने का विधिक अधिकार न होने सम्बन्धी है। प्रकट

एवं निर्विवाद रूप से वादग्रस्त भूमि भूमिधरी भूमि है अर्थात यह भूमि सार्वजनिक अथवा शासकीय भूमि नहीं है एवं इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की WPMS No.2524 of 2013 में पारित निर्णय दिनॉक 08/8/2014में दी गयी व्यवस्था अत्यन्त सटीक है जिसका उल्लेख विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णय में अति स्पष्ट रूप से किया है। वर्णित न्यायिक दृष्टान्त के दृष्टिगत राज्य सरकार वर्तमान निगरानी प्रस्तुत करने के लिए सक्षम नहीं है। जहॉ तक कथित सुलहनामा/समझौता स्टाम्पित न होने का प्रश्न है वह स्टाम्प शुल्क अपवंचन का प्रकरण योजित करने के लिए सक्षम व समर्थवान थी। यदि अब भी मर्यादा अवधि उपलब्ध है तो वह स्टाम्प शुल्क अपवंचन का प्रकरण योजित कर सकती है।

विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आक्षेपित निर्णयादेश में सभी तथ्यों एंव विधिक बिन्दुओं का पूर्णतः समावेश करते हुए एक विधिवत् सगीक्षित, मूल्यॉकित एवं विमर्शित निर्णयादेश पारित किया है जिसमें अन्यथा भी हस्तक्षेप अवांछनीय है। वादग्रस्त भूमि की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भी आक्षेपित निर्णयादेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि सर्वे नायब तहसीलदार के वर्ष 1998 के आदेश के उपरान्त इस भूमि से सम्बन्धित दो अन्तरण हो चुके हैं जैसा कि विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश में उल्लेख किया है। तदनुसार आशय यह है कि तृतीय पक्ष के हित उक्त अन्तरणों से उत्पन्न हो चुके हैं। इस प्रकार प्रकरण में स्वत्व सम्बन्धी जटिलता एंव गूढता(complexity) विद्यमान हो गयी है जिनका समाधान एक सरसरी कार्यवाही(summary proceeding) में सम्भव नहीं है। राज्य सरकार, इस सम्बन्ध में, अथवा, प्रभावित व्यक्ति, नियमित वाद का सहारा लेने के लिए स्वतन्त्र है।

उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रश्नगत निगरानी पोषणीय नहीं है।

आदेश

निगरानी अस्वीकार की जाती है। इस आदेश की एक प्रति के साथ न्यायालय अपर आयुक्त कुमायूँ मण्डल नैनीताल की पत्रावली वापस कर दी जाय। इस न्यायालय की पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आदेश आज दिनॉक 23/9/2017 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, उद्घोषित एंव दिनॉकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।